+ 373/22

सुधीर पाराशर
SUDHIR PARASHAR
STAMP VENDOR
LICENCE NO. 30
E-Stamping ACC ID-UP14420604
Tehsil Sadar, Agra

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP20647638128551U
Certificate Issued Date	:	18-Jun-2022 04:13 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14420604/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1442060432998021041055U
Purchased by	:	YASH EDUCATIONAL TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	YASH EDUCATIONAL TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	YASH EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	760 (Seven Hundred And Sixty only)

E-STAMP
CHECKED BY:-R.
LOCKED BY:-S. P.

Please write or type below this line

जितेन्द्र सिंह

KC 0026858775

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

ई–स्टाम्प नम्बर **IN-UP20647638128551U**

Kailash Chand Advocate Sadar Tehsil, Agra

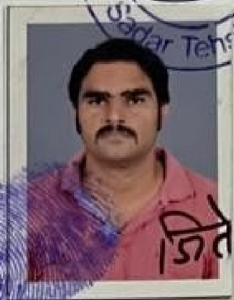

जितेन्द्र सिंह

(श्री गणेशाय नमः)
ट्रस्ट डीड

देय स्टाम्प – 760/–रुपये का

ई–स्टाम्प नम्बर **IN-UP20647638128551U**

1. ट्रस्ट का नाम – यश एजूकेशनल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता – रुपवास रोड, फतेहपुर सीकरी जिला आगरा।
3. ट्रस्ट में लगाया गया धन – 10,000/–रुपये
4. ट्रस्ट के तत्व – मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है आभार का सम्पत्ति से जुडा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है।
   इस प्रकार ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

जितेन्द्र सिंह

ई–स्टाम्प नम्बर IN-UP20647638128551U

उपरोकत अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होगे

1. रनवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री छीतर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट दहतोरा, तहसील व जिला आगरा। ———— ट्रस्टी / अध्यक्ष
2. मानवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री धारा सिंह निवासी अर्जुन नगर, तहसील व जिला आगरा। ———— ट्रस्टी / उपाध्यक्ष
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट दहतोरा, तहसील व जिला आगरा। ————सचिव / प्रबन्धक
4. श्रीमती अंजू सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट दहतोरा, तहसील व जिला आगरा। ———— ट्रस्टी / कोषाध्यक्ष
5. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट दहतोरा, तहसील व जिला आगरा। ———— ट्रस्टी

ट्रस्ट के उददेश्य :–

1. शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पी0 जी0 कॉलेज की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षासंस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक –युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना।
2. निर्धन, अनाथ, अपंग, अनुसूचित जाति / जनजाति, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना तथा बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, कीडा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना एवं शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं को आयोजित करना।
3. शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठयकम पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना।
4. युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हे शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हे जागरुक करना तथा उनके बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, कीडाकेन्द्रों, व्यायामशाला, आवासीय

जितेन्द्र सिंह

विद्यालयों की स्थापना करना तथा निर्धन अनाथ अपंग बच्चों, मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तियां दिलाना।

5. नागरिको मे सामाजिक जनचेतना जाग्रत करना एवं विज्ञापन पोस्टर बैनर आदि के माध्यम से एड्स, केंसर, हेपटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय बताना एवं इन पर प्रभावी अंकुश करने हेतु जाग्रति पैदा करना।

6. समय – समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं जागरुकता शिविरों निःशुल्क स्वास्थ्यरक्षा सिविरों, नेत्र रक्षक केम्पो, प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर जन जाग्रत शिविर, कला प्रदर्शनी, प्रोढशिक्षा, बाल श्रम उन्नमूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन, मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।

7. देश विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यी वाली संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना ऐसी सस्थाओं से वित्तीय अनुदान व जनसहयोग प्राप्त करना समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना।

8. युवाओं में राष्ट्रीय एकता प्रेम का विकास करना तथा देश हित में काम करना।

9. संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिको का सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों धर्मशाला एवं अन्य धर्मार्थ संस्थओं, शिक्षण संस्थाओ, निःशुल्क औषधालयों का निर्माण एवं उनके संस्थान की पूर्ण व्यवस्था करना।

10. निराश्रित महिलाओं एवं नाबालिग बच्चों के कल्याण हेतु समय – समय पर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना,, आँगनवाडी कार्य नारीनिकेतन, प्रशिक्षण केन्द्रो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सांस्कृतिक कला केन्द्रों व नाबालिग बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालयों की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना तथा बच्चों को मध्याहन भोजन व्यवस्था में सहयोग करना।

11. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम बोर्ड संबन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग युवक युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हे आम्म निर्भर व स्वाभिमानी बनाने हेतु स्वयं रोजगार प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, बुनाई, हस्त शिल्पकला, पुस्तककलाँ, दस्ताकरी, दरी कालीन डिजायन पैंटिंग कला प्रशिक्षण टंकण पटकथा लेखन, आशुलिपिक संगीत गायन वादन, नाटयशाला प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन्टरनेट, अन्तरिक्ष जानकारी व फोटो ग्राफी चल चितत्र सम्पादन, फैशन डिजायनिंग व अन्य उपयोगी प्रशिक्षण

जितेन्द्र सिंह

ई–स्टाम्प नम्बर **IN-UP20647638128551U**

प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हे आत्म निर्भर बनाना तथा उनमें जागरुकता पैदा करना।

12. पर्यावरण सुधार हेतु जागरुकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह – जगह पर वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना।
13. सामाजिक वानिकी कार्यक्रमो को चलाना व खाली पडी ऊसर बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कर वनीकरण को बढावा देना तथा बागवानी का सहयोग करना।
14. खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलो का संरक्षण प्रशीधन पैंकिग करना व खाद्य प्रकरण के अन्तर्गत आने वाले प्राकृतिक वस्तुओ को खाने योग्य बनाना व उनके विवरण की व्यवस्था करना तथा प्राप्त धन का संस्थानों के निर्माण उद्देश्य की पूर्ति के कार्यो पर व्यय करना।
15. समाज के अपेक्षित लोगों जैस अन्धे, कुष्ठ रोगी व मुक वधिरों, विकलांगों व निरारिश्रत लाचार बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करना बाल आश्रम, अनाथालय एवं वृद्ध आश्रम की स्थापना करना।
16. विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं द्वारा जनता को जगरुक करना एवं बेरोजगार यूवक, युवतियों एवं विधवा अनाथ पिरत्यकता महिलाओं एवं वृद्ध महिलाओं एवं अनाथ बच्चों को सुलभ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे स्वावलम्भी श्रेष्ठ नागरिक बनाना।
17. निर्धन एवं अनाथ लोगो एवं पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संबधित विभागों मंत्रालयों, जैस स्वास्थय परिवार कल्याण, मन्त्रालय, यूनीलेफ हडकों, महिला एवं बाल विकास विभाग कपार्ट काई, सिप्सा, अन्राष्ट्रीय सहायता कोष, ई नौराड, डूडा, कल्याणनिधि, सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण सलाहाकार बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग मानव संशाधन विकास मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्रालय, राजीव गाँधी फाउडेशन विश्व स्वास्थय विज्ञान एवं प्रोघोगिकी परिषद आदि के सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमो के चलाने से नागरिकों का सर्वागीय विकास करना।

जितेन्द्र सिंह

18. समाज में व्याप्त कुरितियों व सामाजिक बुराईयों को खत्म करने का प्रयास करना तथा अतिवृष्टि, बाढ़ सूखा भूकम्प, आदि देवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीडितों की हर सम्भव सहायता करना।
19. ऐसी सस्था समिति जिसका संचालन जनहित में ठीक से चल रहा हो ट्रस्ट को संचालन का प्रस्ताव देती है तो स्व0 श्रीमती पूरन देवी एजूकेशनल स्मृति ट्रस्ट के ट्रस्टियों से विचार कर ऐसी संस्था का सम्पूर्ण संचालन अधिकार, लेन देन अपने हाथ में प्रस्ताव पारित कर ले सकते है। ट्रस्ट के उद्देशयों से संस्था को ट्रस्ट के रुप में चलायेगी।

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र – सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट के धन संबधी कार्यः– ट्रस्ट में जनसामान्य द्वारा एंव महिला व दलित के धन व दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खाते में किसी भी बैंक व पोस्ट ऑफिस में जमा की जायेगी जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च की जायेगी। भवन के निर्माण की व्यवस्था के लिये प्रबन्धक द्वारा बैंक, प्राइवेट कम्पनी तथा फाइनेन्सर्स आदि से ट्रस्ट हित में ब्याज पर इन्तजाम करेगा उक्त धनराशि का लेनदेन करने, बैंक खाता आपरेट करने के लिये प्रबन्धक/सचिव /मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर होगे।

ट्रस्टियों की नियुक्तिः– मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के द्वारा शेष पदाधिकारियो की नियुक्ति प्रति 5 वर्ष के लिये की जायेगी। ट्रस्ट में प्रबन्धक/सचिव पद मुख्य ट्रस्टी के पास रहेगा इनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा नामित या उनके वंशज ही ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव होगे।

मुख्य ट्रस्टी का अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी को मनोनित करने का अधिकार रहेगा और उक्त के मनोनयन के आधार पर ही मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु के उपरान्त यह मनोनीत व्यक्ति प्रबन्धक/सचिव बन सकेगा। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी सदस्य होगे।

ट्रस्ट की सदस्याः– यदि कोई सदस्य इस ट्रस्ट को भविष्य में 25,000/–रुपये से अधिक धनराशि या इतने या इससे अधिक मुल्य की सम्पत्ति ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु प्रदान करेगा तो वह इस ट्रस्ट का आजीवन सदस्य मुख्य ट्रस्टी द्वारा बनाया जायेगा। कुल ट्रस्टियो की संख्या अधिकतम 7 तक रहेगी।

संचालित संस्थानों की प्रबन्धक समिति में नामित सदस्यः– ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य संस्थायें जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है की प्रबन्धक समिति में

जितेन्द्र सिंह

ट्रस्टी/सचिव जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह प्रबन्धक/सचिव पद पर रहेगे। अन्य पाधिकारियों एवं सदस्यों के लिये मुख्य ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझे ट्रस्टी सदस्यों में से भेज सकेगा। ऐसे पदाधिकारी एवं सदस्य भेजे जाने वाले ट्रस्टी सदस्यों में अधिक से अधिक 11 होगी।

विशिष्ट सदस्य :– विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणी व्यक्ति दो वर्ष के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा विशेष सदस्य नामित किये जा सकेगे। ऐसे सदस्यो की संख्या अधिकतम पाँच होगी। ऐसे सदस्य मत देने का अधिकार नही होगा। ट्रस्ट के अर्जनकर्ता **ट्रस्टी/सचिव जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह** इस ट्रस्ट प्रबन्ध समिति पर ट्रस्ट समिति के आजीवन प्रबन्धक/सचिव रहेगे। शेष पदाधिकारियों व सदस्यों को आगामी सदस्यों को आगामी वर्षो के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकतम 3 संरक्षक व आजीवन ट्रस्टियों में से नामित किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की पुनः भी आगमी वर्षो के कार्यकाल के लिये नामित किया जा सकता है।

ट्रस्ट मण्डलः– ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव **जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह** है वे ही इस पद पर पर्यन्त रहेगे तथा इनकी मृत्यु के बाद **यश चौधरी पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह** ही ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष होगा। जैसे कि ऊपर उल्लिखित है। ट्रस्ट के ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी सदस्य होगे।

ट्रस्टियों की संख्या :– वर्तमान में ट्रस्टियो की संख्या मुख्य ट्रस्टी को मिलाकर अधिकतम तीन है जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी रहेगे।

कम संख्या	नाम मय बलदियत	पूरा पता	पद
1	रनवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री छीतर सिंह	ग्राम व पोस्ट दहतोरा, तहसील व जिला आगरा	ट्रस्टी/अध्यक्ष
2	मानवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री धारा सिंह	अर्जुन नगर, तहसील व जिला आगरा।	ट्रस्टी/उपाध्यक्ष
3	जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह	ग्राम व पोस्ट दहतोरा, तहसील व जिला आगरा	सचिव/प्रबन्धक

जितेन्द्र सिंह

ई–स्टाम्प नम्बर IN-UP20647638128551U

4	श्रीमती अंजू सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह	ग्राम व पोस्ट दहतोरा, तहसील व जिला आगरा	ट्रस्टी / कोषाध्यक्ष
5	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह	ग्राम व पोस्ट दहतोरा, तहसील व जिला आगरा	ट्रस्टी

ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

अध्यक्षः

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना प्रबन्धक / सचिव के आदेश से मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करना तथा सभी सदस्यों के समक्ष मीटिंग में रखना।
3. किसी भी वाद विवाद को परिस्थितियों में बिना प्रबन्धक / सचिव की अनुमति न्यायालय की शरण नही ले सकेगा।
4. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभ आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हो सकेगा।
5. समस्त प्रकार के सभाओं की अध्यक्षता करना।

प्रबन्धक / सचिवः–

1. ट्रस्ट हितार्थ अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट की उन्नति एवं विकास में सहायक हो।
2. ट्रस्टी मण्डल की सभा में किसी विषय पर बराबर मत का निर्णय हेतु निर्णायक मत देना।
3. ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर अध्यक्ष को समिति को भंग करना कार्यकारिणी समिति के अधिकार के समस्त अधिकार अपने में निहित कर दो माह में नई कार्यकारिणी समिति का विधिवत निर्वाचन करना।
4. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवरी विधि सहालकार के सहयोग से करना व करवाना।

जितेन्द्र सिंह

ई–स्टाम्प नम्बर **IN-UP20647638128551U**

5. ट्रस्टी की समस्त आवश्यक दस्तावेजों, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टो, प्रलेख विलेखों विल वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
6. ट्रस्ट समिति के परामर्श से प्रबन्धक/सचिव किसी सु योग्य व्यक्तियों के बिना सदस्यता शुल्क अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उसे कार्यकारिणी विशेष अतिथि या आमंत्रित सदस्य साधारण सभा का सदस्य बनासकेगे। जैसे किसी उद्देश्य में वर्णित है।
7. ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व सदस्यों को उसकी रसीद देना।
8. संस्था के आजीवन व सरंक्षक सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की अनिमियतता व संस्था विरोधी कार्य करने पर उसे 6 वर्ष की अवधि तक के लिये सदस्यता से निलम्बित कर सकता है।
9. संस्था विरोधी कार्य एव्ं अनुशासन हीनता करने पर प्रबन्धक/सचिव को छोडकर अन्य किसी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता सामाप्त करना आदि कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा की सदस्यता को स्वीकार करने हेतु कार्यकारिणी समिति के 1/3 बहुमत से करना आवश्यक होगा।
10. ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
11. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों/कॉलेजों, धमार्थ संस्थानों व अन्य इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निष्कासन एवं पदच्युत करना उसका भुगतान करना।
12. आकस्मिक व्यय हेतु 10,000/–रुपये तक अपने पास रखना रखना व व्यय करना। वर्तमान में ट्रस्ट के पास 10000/–रुपये के अलावा अन्य कोई चल या अचल सम्पत्ति नहीं है।
13. कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उससे सम्बन्धित विभागों की स्वीकृति के लिये भेजना, शिक्षण संस्था का समिति के हित में संवाद व वार्तालाप के संबध में पत्राचार करना व संबधित विभागों, सरकारी व अर्ध सरकारी सम्पर्क स्थापित कर संबद्धता स्थापित करना।

कोषाध्यक्षः–

1. संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय व्यय बही पत्रों को तैयार करना।
2. संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं समस्त आय व्यय बही पत्रों को तैयार करना।

जितेन्द्र सिंह

ई–स्टाम्प नम्बर **IN-UP20647638128551U**

3. प्रबन्धक/सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना, विल, वाउचरों का भुगतान करना।

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य संस्थाओं के लिये प्रबन्धक समिति का चुनाव इन्ही ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा जिसके लिए मुख्य ट्रस्टी की सहमति से की नियुक्ति करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व धर्मार्थ संस्थानों में निम्न पदाधिकारी होंगे जिसमें प्रबन्धक/सचिव पद मुख्य ट्रस्टी ओमकार सिंह पुत्र श्री राम सिंह के पास आजीवन रहेगा। तथा शेष पदाधिकारियों का चयन ट्रस्टी सदस्यों में से होगा। जिन्हे मुख्य ट्रस्टी द्वारा 5 वर्ष के लिये नामित किया जायेगा।

ट्रस्टियों में से कोई भी ट्रस्टी का अवसान मृत्यु या कोई भी सदस्य या हैसियत से कार्य करने की असमर्थता की वजह से यदि ट्रस्टी मण्डल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर या 1/3 बहुमत से निर्णय के आधार पर सदस्यता/पद समाप्त हो जाता है तो एसे पद/स्थान होने पर ट्रस्ट के प्रबन्धक सचिव को रिक्त स्थान भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा
2. विद्यालय की प्रबन्धन समिति व सचिव के निर्णय के विरुद्ध अपनी बहाली हेतु किसी प्रकार की अपील करने का अधिकार नही होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चो के लिये सुरक्षित रहेगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित नियमों ..शर्तो का पालन करना होगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से अनुदान की कोई मांग करना, सेन्ट्रल बोर्ड समाज कल्याण बोर्ड का पार्ट नावार्ड आदि से वित्तीय सहयोग लेना व उसकी संबद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसलिग ऑफ दी इन्डियन स्कूल स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से

जितेन्द्र सिंह

ई–स्टाम्प नम्बर **IN-UP20647638128551U**

सम्बद्धता सामाप्त होने की स्थिति से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5. संस्था के शिक्षा/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन तथा अन्य वेतन नही दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों को सेवा शर्ते बताई और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. उक्त प्रतिबन्धों में बिना शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन नही किया जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा सहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क–मुक्त संस्था के छात्रों को प्रदान की जावेगी।
10. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा यदि हो तो प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करे कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम 1–10 तक स्वीकार है।

अतः यह ट्रस्ट डीड सचिव/प्रबन्धक **जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट दहतोरा, तहसील व जिला आगरा** द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाब के अपने पूर्ण होशो हवास में अपने परिवारीजनों से सहाल मशहवरा किये लिख दिया ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे तहरीर तारीख 18/06/2022 तहसील सदर, जिला आगरा व मसौदा कैलाश चन्द राजपूत, एड0 तहसील सदर जिला आगरा।

जितेन्द्र सिंह

रामबाबू

गवाह रामबाबू पुत्र श्री नारायन सिंह
निवासी ग्राम व पोस्ट दहतोरा, आगरा।

गवाह भगवान दास पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद
निवासी खतैना, लोहामण्डी आगरा।

Kailash Chand
Advocate
Sadar Tehsil, Agra

आवेदन सं०: 202200766029252

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 720 के पृष्ठ 311 से 332 तक क्रमांक 373 पर दिनाँक 18/06/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार सिंह

उप निबंधक : सदर द्वितीय

आगरा

18/06/2022

प्रिंट करें